4-6-16 | पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प अन्तर्गत पर पेश हुई। वादी एवं प्रतिवादीगण से कागज बाडतामील। अदम तामील प्राप्त नहीं हुई। वादी उपस्थित नहीं। पैरोकार सरकार उपस्थित। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर वाद पत्र को स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की गयी। जबकि प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाबदावा के आधार पर वाद पत्र को खारीज किये जाने की इस्तदुआ की।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादी के वाद पत्र में अंकित प्रार्थना एवं प्रतिवादीगण द्वारा वाद पत्र के खण्डन में जवाबदावा के आधार पर मनन किया गया। विवादित आराजियात ...

(देवी सिंह)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर मण्डल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	मौजा में स्थित होकर राजस्व अमरगढ़ तहसील माता श्री० मोतीबाई मुतबन्ना गणेशराम बाबिलायत काबिज देह के नाम दर्ज बेवा गणेश राम महाजन प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड रेकार्ड थी। जिसकी ताईद 2018 से 2021 की जमाबंदी की नकल कम्मत 745 रकबा होती है, जो प्रदर्श 1 है। काराजी नं. प्रताप महाजन काबिज 11 बिस्वा भूमि हजारीमल S/o ताईद प्रस्तुत देह के नाम दर्ज रेकार्ड है जिसकी नकल कम्मत 2018 राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी की से 2021 की होती है, जो प्रदर्श 2 है। काराजी नं० 729 रकबा 14 बीघा 4 बिस्वा, 730 रकबा 2 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 16 बीघा 4 बिस्वा भूमि गैर काबिल काश्त के दर्ज रेकार्ड है जिसकी ताईद प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी की नकल कम्मत 2018 से 2021 प्रदर्श-3 है। हाल काराजीयात बाबत काबिज देह के नाम मुतबन्ना गणेश राम महाजन भूमि दर्ज कुल किता 10 रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा रेकार्ड है जिसकी ताईद प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी की नकल कम्मत 2058 से 2061 की होती है जो प्रदर्श-6 है। साबिक काराजीयात के हाल नम्बर कायम हुये। जिसकी ताईद प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल की फोटो प्रति से होती है जो प्रदर्श-7 है। जो राम सहाय मुतबन्ना गणेशराम बाबिलायत श्री० मोती बाई बेवा गणेश राम महाजन के नाम दर्ज रेकार्ड है काराजी नं-612 रकबा 19 बिस्वा गै.मु. रास्ता दर्ज होकर बिलानाम गैर काबिल काश्त के दर्ज रेकार्ड है जिसकी ताईद प्रस्तुत जमाबंदी की नकल कम्मत 2058 से 2061 की होती है। जो प्रदर्श-12 है। प्रस्तुत दस्तावेजों एवं वाद पत्र में अंकित तथ्यों से [illegible]

(देवी सिंह)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं

तारीख हुक्म	प्रकरण संख्या 15अ/A(04)का वाद हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

सेटलमेंट के पूर्व वादी के पूर्वजों के नाम 14 बीघा 16 बिस्वा भूमि दर्ज रेकार्ड थी। किन्तु सेटलमेंट के बाद वादी के नाम कालकिता 10 रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा भूमि दर्ज हुई। इस प्रकार वादी के करीब 2 बिस्वा भूमि खातेदारी में कम दर्ज की गयी। 2 बिस्वा भूमि खसरा नं. 612 में से रकबा कम कर वादी के नाम दर्ज करना चाहिये। किन्तु वर्तमान समय में खसरा नं० 612 रकबा 19 बिस्वा भूमि गै.मु० रास्ता दर्ज होकर बिलानाम गैर काबिल काश्त के दर्ज रेकार्ड है। जिसकी ताईद प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबंदी की नकल सम्वत 2058 से 2061 से होती है ~~[illegible]~~ काबिज नक्शा ट्रेस व हाल नक्शा ट्रेस भी प्रस्तुत किया। जो प्रदर्श 495 है. हाल खसरा नं 612 रकबा 19 बिस्वा भूमि काबिज खसरा नं 730 रकबा 2 बीघा से कायम हुये है जो गैर काबिल काश्त के दर्ज रेकार्ड है। जिसकी ताईद प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबंदी की नकल सम्वत 2018 से 2021 से होती है। किन्तु वादी के हाल खसरा नं. 612 रकबा 19 बिस्वा में से 2 बिस्वा पर कब्जे बाबत कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये, जिससे कब्जे की ताईद होती हो, जबकि प्रतिवादी गण ने भी वाद पत्र के खण्डन में प्रस्तुत जवाबदावा के आधार पर वाद पत्र को अस्वीकार किया। क्योंकि सेटलमेंट के बाद वादी के नाम 12 बीघा 11 बिस्वा भूमि ही दर्ज होनी चाहिये। किन्तु मौके पर 12 बीघा 15 बिस्वा भूमि ~~दर्ज~~ होकर वादी के नाम दर्ज है क्योंकि सेटलमेंट के बाद प्रत्येक बीघा में से 3 बिस्वा भूमि कम करते है। तो करीब 2 बीघा 5 बिस्वा भूमि कम रकबा 14 बीघा

[signature]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	16 बिस्वा मे से कम करने पर 12 बीघा 11 बिस्वा बाकी रहती है जबकि वर्तमान कागज मे वादी के नाम 12 बीघा 15 बिस्वा भूमि दर्ज है जो करीब 4 बिस्वा अधिक दर्ज है। ऐसी स्थिति मे वादी अपने वाद पत्र मे चाही गयी दादरसी के मुताबिक जमीन दर्ज रेकार्ड होने के वाद पत्र मैनटेबल नहीं है।
	उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी अपने वाद पत्र को सिद्ध कराने मे असफल रहने के कारण वादी का वाद पत्र खारिज किया जाना उचित समझता हूँ - अत:
	:: आदेश ::
	वादी अपने वाद पत्र को सिद्ध कराने मे असफल रहने के कारण वादी का वाद पत्र खारिज किया जाता है। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करे। तद्नुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसला शुमार की जाकर दफ्तर दाखिल हो।
	(देवी सिंह) पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर माण्डल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
लोक अदालत कैम्प कोर्ट–अमरगढ तहसील मांडल

:: मूल वाद में डिक्री ::

(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारीः– श्री देवीसिंह रावत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–153 / 2004–ए राजस्व वाद

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

श्री बालकृष्ण गोद पुत्र गणेशराम चेचाणी–महाजन, उम्र बालिग निवासी अमरगढ़ तहसील मांडल जिला (राजस्थान) ––––––वादी

वनाम

1–राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर महोदय, भीलवाड़ा तहसील व जिलाभीलवाड़ा

2–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहव, मांडल तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा

––––प्रतिवादीगण

––––––

वादी की ओर से –– एडवोकेट और प्रतिवादीगण की ओर से श्री – एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद के आज दिनांक 4.6.2016 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि – और इस मद के खर्चे लेखों प्रतिशत रूपयों की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि – को दी जायें।

वादी अपने वाद पत्र को सिद्व कराने में असफल रहने के कारण वादी का वाद पत्र खारीज किया जाता हैं। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें।

(देवीसिंह रावत)

आर0ए0एस0

उपखण्ड अधिकारी

मांडल जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

आज दिनांक 4.6.2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी माण्डल